प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से समृद्ध होंगे किसान

—इंद्रेश चौहान

बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों की आजीविका कृषि से संबद्ध है। ऐसी स्थिति में इनकी उन्नति के बिना देश की उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो कृषि में वित्तीय समावेशन के जरिए पिछड़े किसानों को आगे लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना वित्तीय समावेशन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने इन दोनों योजनाओं को मंजूरी दी है। इन दोनों योजनाओं के जरिए किसानों को काफी राहत मिलेगी। इन योजनाओं का किसानों को त्वरित लाभ मिले, इसके लिए नीति आयोग खुद इसकी निगरानी करेगा।

केंद्र सरकार की ओर से किसानों को समृद्ध करने के लिए लगातार तमाम उपक्रम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खेती की पद्धतियों के आधुनिकीकरण के जरिए कृषि क्षेत्र में नई जान डालने को महत्व देते हैं। इस वजह से लगातार नई–नई तकनीक विकसित करने के साथ ही किसानों को सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को वरीयता दी जा रही है। अगर हम वित्तीय समावेशन की बात करें तो इसका सीधा–सा मतलब होता है समाज के पिछड़े एवं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाओं से सुविधा संपन्न बनाना। केंद्र सरकार इस पहलू पर खासतौर से ध्यान दे रही है। किसानों के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाई जा रही हैं बल्कि वित्तीय समावेशन के जरिए उनकी मदद भी की जा रही है। कृषि क्षेत्र का करीब 78 फीसदी भाग मानसून पर निर्भर है। यदि मानसून साथ न दे तो फसलों को बचा पाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में किसानों के सामने आर्थिक समस्या आती है। उन्हें खाद, बीज व पानी के लिए ऋण तक लेना पड़ता है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को ऋण सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड इस दिशा में सबसे बेहतर सहयोगी बना है। केसीसी की तरह की अन्य कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो किसानों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में साफतौर पर कहा था कि जब तक भारत के किसानों को सुविधा संपन्न और आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बनाया जाएगा, तब तक भारत को विकसित करने के सारे प्रयास नाकाफी होंगे। इन्होंने इसके पीछे विभिन्न प्रगतिशील देशों में किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का हवाला दिया और कहा कि प्रगतिशील देश कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को न सिर्फ

बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि उन्हें सिंचाई सुविधाओं से भी लैस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के किसानों को सिंचाई सुविधा से संपन्न बनाने के साथ ही पानी की हर बूंद की कीमत भी बतानी होगी। जब तक एक–एक बूंद के महत्व को नहीं समझा जाएगा, तब तक तरक्की और खुशहाली की अवधारणा पूरी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में खेती के क्षेत्र में जितनी अधिक तरक्की होगी, उसी अनुपात में देश की तरक्की की गति भी बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री की ओर से किसानों को सुविधा संपन्न बनाने की मंशा को देखते हुए भी केंद्र सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बजट में भी इसकी झलक साफतौर पर दिखी थी। बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने 2015–16 के दौरान कृषि ऋण के लिए 8.5 करोड रुपये के ऋण का लक्ष्य रखा। जबकि 2015–16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण और संरचना विकास कोष की निधियों में 25000 करोड़ रुपये, दीर्घकालिक ग्रामीण ऋण कोष में 15000 करोड़ रुपये, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि हेतु 45000 करोड़ रुपये और अल्पावधिक आर आर बी पुनर्वित्त निधि के लिए 15000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके पीछे भी मूल मकसद कृषि क्षेत्र का वित्तीय समावेशन ही है।

अभी भी हमारे देश में बड़ा भू–भाग सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। इससे न सिर्फ हर खेत को पानी उपलब्ध कराना है बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना है। खेतीबाड़ी की गतिविधियों को ज्यादा कारगर बनाना और खेत की उत्पादकता बढ़ाना भी मकसद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दे दी गई। इस योजना का किसानों को त्वरित लाभ दिलाने के लिए पुख्ता रणनीति बनाई गई है। इसके तहत देश की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक्शन प्लान बनाने का जिम्मा तो जिला और राज्य प्रशासन के पास रहेगा मगर नीति आयोग इस प्लान के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। योजना के क्रियान्वयन में बजट आड़े नहीं आए, इस वजह से केंद्र सरकार ने इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 5300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार की मंशा इस योजना पर पांच वर्ष में 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने की है।

दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा तब तक न तो भरपूर उत्पादन हो सकता है और न ही किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इस योजना के कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। क्योंकि देश में अभी भी कृषि का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई से वंचित है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक विश्व की कुल भूमि का 2.5 हिस्सा भारत के पास है। दुनिया की 17 प्रतिशत जनसंख्या का भार भारत वहन कर रहा है। भारत में कुल भूमि क्षेत्रफल करीब 329 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें खेती करीब 144 मिलियन हेक्टेयर में होती है, जबकि लगभग 185 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर है। करीब 144 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा नहीं है। इसी तरह 47.23 मिलियन हेक्टेयर भूमि को परती भूमि के रूप में चिह्नित किया गया जो देश के कुल भू–क्षेत्र का 14.19 फीसदी हिस्सा है। घनी झाड़ी वाली करीब 9.3 मि. हेक्टेयर परती भूमि मुख्य परती भूमि है जबकि खुली झाड़ी वाली 9.16 मि. हेक्टेयर भूमि का दूसरा स्थान आता है। करीब 8.58 मि. हेक्टेयर भूमि कम उपयोग की गई या क्षरित वन झाड़ी भूमि है। इस लिहाज से इस योजना का महत्व और बढ़ जाता है।

जब सिंचाई के पर्याप्त साधन होंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। इस योजना का दूसरा उद्देश्य है खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके और सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूंद अधिक फसल) आदि। इसके अलावा इसके जरिए सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास किया जाएगा। इसी तरह सरकार की ओर से ड्रिप सिंचाई जैसी योजना भी संचालित की जा रही है। सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के घटक के तौर पर ऑन फॉर्म वॉटर मैनेजमेंट के तहत सरकार वित्तीय सहायता मुहैया करा रही है। लघु और सीमांत किसानों के लिए सहायता की दर स्थापना लागत का 35 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक और अन्य किसानों के लिए इसकी स्थापना लागत का 25 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक सहायता की दर रहती है। केन्द्रीय सहायता के अलावा, राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे किसानों को 10 प्रतिशत सहायता मुहैया कराएंगी। किसानों की समृद्धि की सरकार की मंशा बजट में भी साफतौर पर दिखती है। केंद्र सरकार की ओर से खेती एवं खेतिहरों के लिए वित्तीय समावेशन पर खासतौर से जोर दिया गया है। सरकार का जोर कृषि क्षेत्र को सभी सुविधाओं से संपन्न करने पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों को सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में सबसे मजबूर हथियार साबित होगी।

इस तरह होगी योजना की निगरानी

राष्ट्रीय–स्तर पर पीएमकेएसवाई योजना की निगरानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सभी संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों

के साथ एक अंतर–मंत्रालयी राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) द्वारा की जाएगी। कार्यक्रम के कार्यान्वयन, संसाधनों के आवंटन, अंतर–मंत्रालयी समन्वय, निगरानी और प्रदर्शन के आकलन के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एनईसी) गठित की जाएगी। राज्य स्तर पर योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य–स्तरीय मंजूरी देने वाली समिति (एसएलएससी) द्वारा किया जाएगा। इस समिति के पास परियोजना को मंजूरी देने और योजना की प्रगति की निगरानी करने का पूरा अधिकार होगा। कार्यक्रम को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला–स्तरीय समिति भी होगी। योजना के तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य–स्तरीय योजनाएं बनायी जाएंगी।

किसानों की समृद्धि से जुड़ी अन्य योजनाएं

केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को राहत देने के लिए जिस दूसरी बड़ी योजना को मंजूरी दी है वह है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। इस योजना में कैबिनेट ने अगले दो वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के जरिए देश की 585 मंडियों को ई–प्लेटफार्म से जोड़ा जाएगा। यह योजना किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने में मदद करेगी।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम) एक राष्ट्रीय–स्तर का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जिसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। एनएएम से जुड़कर कोई भी कृषि उपज मंडी पहले की भांति काम करती रहेगी। एनएएम से जुड़ कर कोई भी कृषि उपज मंडी राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क में भाग ले सकती है। किसान जब स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मंडी में लाते हैं तो उन्हें स्थानीय व्यापारियों के साथ–साथ इंटरनेट के माध्यम से देश के अन्य राज्यों में स्थित व्यापारियों को भी अपने माल बेचने का विकल्प व व्यवस्था होगी। जहां बेहतर भाव मिलेंगे, किसान वहां बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने कृषि–तकनीक मूलभूत सुविधा कोष (एटीआईएफ) के जरिए राष्ट्रीय कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र परियोजना को भी अपनी मंजूरी दी है। कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) इसे पूरे देश में चयनित विनियमित बाजारों में तैनाती योग्य आम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के निर्माण द्वारा लघु किसानों को कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के माध्यम से स्थापित करेगा। इसके तहत साल 2015–16 से साल 2017–18 की परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें डीएसी की ओर से राज्यों और संघशासित प्रदेशों के लिए निःशुल्क सॉफ्टवेयर की आपूर्ति का प्रावधान शामिल है।

स्रोत

- कृषि विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट
- पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार

(लेखक प्रवक्ता हैं एवं नियमित तौर पर विकासात्मक मुद्दों पर लेखन कार्य से जुड़े हैं।)